

# नीति आयोग एवं जीएसटी ( वस्तु एवं सेवा कर )

## नीति आयोग

- नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है।
- योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था लाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को लाल किले से अपने संबोधन में की थी।
- नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है।
- नीति आयोग का पूर्ण रूप 'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान' (NITI-National Institution for Transforming India) है।
- नीति आयोग (मुख्यालय-दिल्ली) भारत सरकार का थिंक टैंक है।
- नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है।
- नीति आयोग का प्राथमिक कार्य, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो।
- नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गये हैं।
- नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ (CEO), पूर्णकालिक सदस्य (Full Time Member), पदेन सदस्य (Ex-Officio Members), शासी परिषद् तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं।
- नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
- नीति आयोग के अध्यक्ष (प्रथम) नरेन्द्र मोदी हैं।
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है।
- उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
- सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविन्द पानगड़िया थे।
- नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिन्धुश्री खुल्लर थे।
- पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है।
- पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या चार होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं।
- शासी परिषद् (Governing Council) में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल/प्रशासक शामिल होते हैं।
- विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है।
- नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केन्द्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है।
- योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC) देता है।

## वर्तमान स्थिति

अध्यक्ष	श्री नरेन्द्र मोदी
उपाध्यक्ष	डॉ. राजीव कुमार
सीईओ	श्री अमिताभ कांत
पूर्णकालिक सदस्य	रमेश चंद, बी. के. सारस्वत डॉ. वी. के. पॉल

## गुड्स एंड सर्विस टैक्स

- विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ।
- भारत में जीएसटी 1 जुलाई, 2017 (GST दिवस- 1 जुलाई) को लागू किया गया जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है।
- GST का पूर्ण रूप - Goods & Service Tax (वस्तु एवं सेवा कर) है।
- GST के लिए 122वाँ संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था।
- GST विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे।
- लोकसभा द्वारा GST बिल 3 अगस्त, 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा GST बिल 8 अगस्त, 2016 को पास किया गया था।
- GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितम्बर, 2016 को दी थी।
- 101वाँ संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू किया गया।
- GST अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है।
- भारत में GST लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था।
- GST (मुख्यालय-दिल्ली) का ब्रांड एम्बेस्डर अमिताभ बच्चन हैं।
- GST लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम (12 अगस्त, 2016) तथा अंतिम राज्य जम्मू-कश्मीर (5 जुलाई, 2017) है।
- GST के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है।
- GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है।
- GST के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें चार प्रकार की हैं - 5%, 12%, 18%, 28%
- संविधान में जीएसटी परिषद् को एक नये अनुच्छेद-279A में रखा गया है, और इसी में इसके गठन का प्रावधान दिया गया है।
- GST परिषद् की स्थापना 12 सितम्बर, 2016 को की गई थी।
- GST परिषद् का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है।
- GST परिषद् में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है।
- GST परिषद् में राज्यों को दो-तिहाई तथा केन्द्र को एक-तिहाई वोट अधिकार दिया गया है।
- GST को तीन भागों में बाँटा गया है- CGST, SGST और IGST
- SGST का पूर्ण रूप है - State Goods & Service Tax
- CGST का पूर्ण रूप है - Central Goods & Service Tax
- IGST का पूर्ण रूप है - Integrated Goods & Service Tax
- IGST को संविधान के अनुच्छेद-269A में रखा गया है।
- SGST राज्य सरकार तथा CGST केन्द्र सरकार लगाती है।
- शराब, पेट्रोलियम वस्तुएँ, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को GST से बाहर रखा गया है।
- वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो GST रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। विशेष राज्यों में यह सीमा 10 लाख रखी गई है।
- राज्यों को GST से होने वाले नुकसान की भरपाई केन्द्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी।
- भारत GST लागू करने वाला 161वाँ देश है।
- सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे।